

18/8/17

बिहार सरकार  
पथ निर्माण विभाग

21/8/17

पत्रांक :- 03/विक्विच-7मेठ- 04-16/15  
प्रेषक,

पटना, दिनांक :-  
7/21/17

अमृत लाल मीणा,  
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना।
- मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना ।
- सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार (रा० उ० प० सहित) ।
- सभी अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार (रा० उ० प० सहित) ।
- सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार (रा० उ० प० सहित)

विषय:- भागलपुर जिले में सरकारी खाते से जालसाजी द्वारा धोखाधड़ी, वित्तीय अनियमितता तथा सरकारी राशि की अवैध निकासी के आलोक में विभागों/कार्यालयों के अधीन संधारित बैंक खातों में संधारित राशि की जाँच के संबंध में।

महाशय,

वित्त विभाग के पत्र संख्या 5593, दिनांक 11.03.2017 की प्रति संलग्न कर अनुपालन हेतु भेजी जा रही है ।

2. इस संदर्भ में यह निदेश दिया जाता है कि वित्त विभाग के इस दिशा-निदेश के आलोक में सात दिनों के अंदर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय । दिनांक 23.08.2017 को 3.00 बजे विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से इस निदेश के अनुपालन की समीक्षा की जायेगी । आप सभी से यह अपेक्षा है कि वित्त विभाग के इस निदेश के आलोक में कार्रवाई करते हुए लिखित प्रतिवेदन विभाग को भेजें ।

3. विशेष पदाधिकारी (यातायात) इस निदेश के अनुपालन हेतु नोडल पदाधिकारी होंगे । वे समेकित अनुपालन प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे ।

अनुपालक:- यथोक्त ।

पथ निर्माण विभाग,  
कार्यकारी निदेश  
महानगर  
22-877

विश्वासभाजन

17/8/17  
(अमृत लाल मीणा)

1